खण्ड-402, अंक-2
बुधवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1913
(31 जुलाई, 1991 ई0)

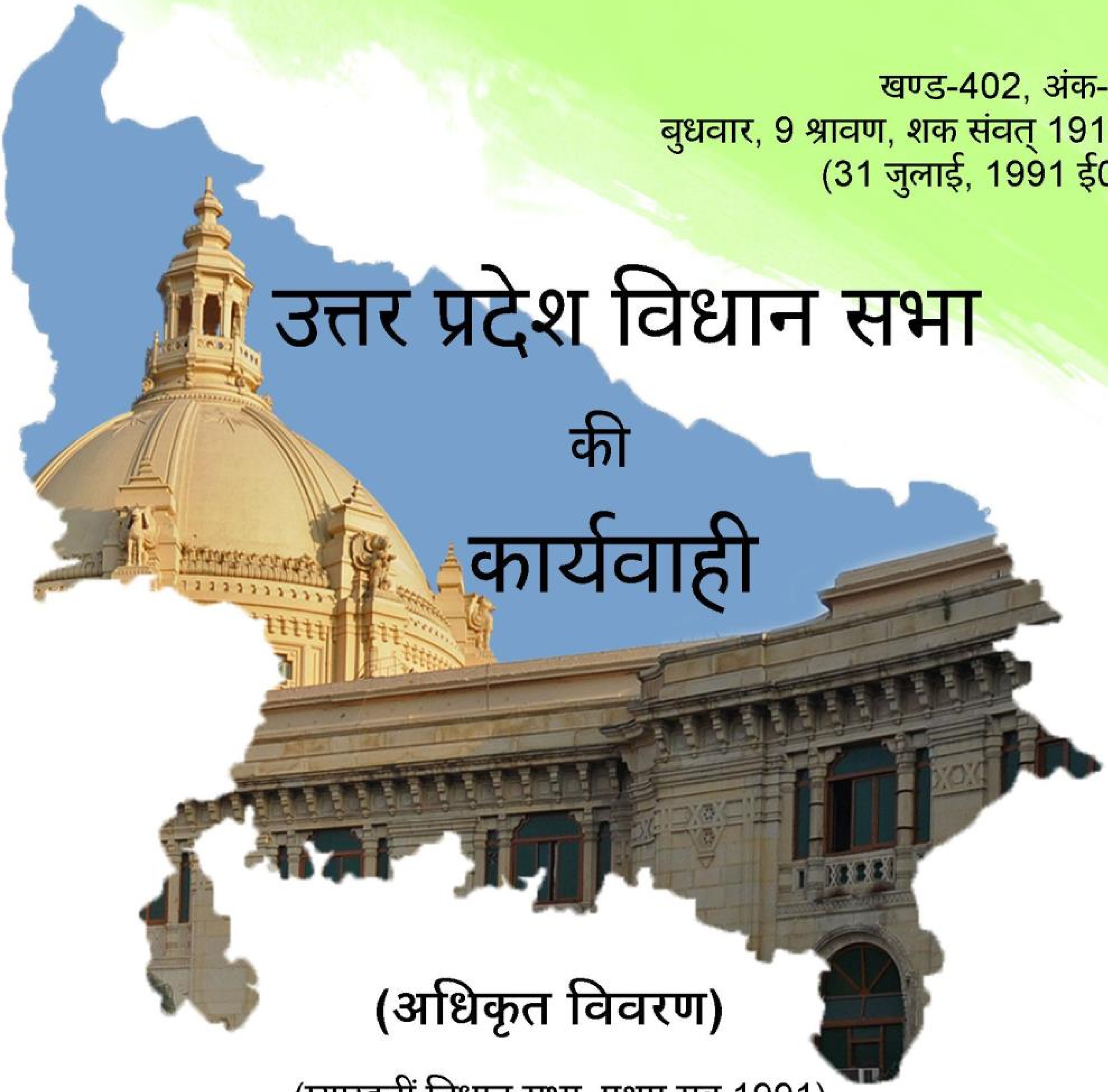

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 402 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
श्री राज्यपाल के अभिभाषण में सम्मिलित होने आ रहे विपक्षी सदस्यों को रोके जाने तथा कार्य सूची में अभिभाषण का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1
श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन की जानकारी ..	2
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ..	2
उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन)(तृतीय) अध्यादेश, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन)(तृतीय) अध्यादेश, 1991 .. .. (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)(द्वितीय)अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा(संशोधन)अध्यादेश, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश लोकसेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)(संशोधन)(द्वितीय) अध्यादेश, 1991 .. .. (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण)(द्वितीय)अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन)(द्वितीय)अध्यादेश, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1991 .. .. (सदन के पटल पर रखा गया)	17
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था)(द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 .. .. (सदन के पटल पर रखा गया)	17
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 .. .. (सदन के पटल पर रखा गया)	17
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन)अध्यादेश, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	17
उत्तर प्रदेश श्री बद्री नाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) .. अध्यादेश, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	17
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास(सन्देह निवारण और वैधीकरण).. अध्यादेश, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	17

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन और वैधीकरण)विधेयक, 1991	
(विधान परिषद से वापसी की सूचना)	17
दण्ड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 1991 ..	
(विधान परिषद से वापसी की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1991 ..	18
(अधिनियमित होने की सूचना)	
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड(संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 ..	18
(अधिनियमित होने की सूचना)	
उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि(संशोधन)विधेयक, 1991 ..	18
(अधिनियमित होने की सूचना)	
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (संशोधन)विधेकय, 1991	19
(अधिनियमित होने की सूचना)	
उत्तर प्रदेश जिला परिषद(अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन)विधेयक,1991	19
(अधिनियमित होने की सूचना)	
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन)विधेयक, 1991	19
(अधिनियमित होने की सूचना)	
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर(संशोधन)विधेयक, 1991 ..	19
(अधिनियमित होने की सूचना)	
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1991 ..	20
(अधिनियमित होने की सूचना)	
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन)विधेयक, 1991	20
(अधिनियमित होने की सूचना)	
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन)विधेयक, 1991	20
(अधिनियमित होने की सूचना)	
उत्तर प्रदेश सिविल बिधि (संशोधन) विधेयक, 1991 ..	20
(अधिनियमित होने की सूचना)	
दण्ड प्रक्रिया संहिता(उत्तर प्रदेश संशोधन)विधेयक, 1991 ..	21
(अधिनियमित होने की सूचना)	
श्री राम प्रसाद सदस्य विधान सभा को गिरफ्तार किये जाने तथा उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित किये जाने पर आपत्ति ..	21
श्री राज्यपाल के अभिभाषण में सम्मिलित होन आ रहे कतिपय सदस्यों को रोके जाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	24
सदन की मर्यादा एवं गम्भीरता बनाये रखने के संबंध में सदस्यों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध	25
मंत्रि-परिषद के सदस्यों का परिचय कराये जाने तथा एंग्लो इण्डियन कम्युनिटी के प्रतिनिधि को नामित न किये जाने के संबंध में जानकारी की माँग	25
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव ..	
(स्वीकृत)	26

उत्तर प्रदेश विधान सभा
बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 1991

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे-

1.	अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
2.	अनिल कुमार तिवारी, श्री	फैजाबाद
3.	अर्जुन, श्री	सुल्तानपुर
4.	दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
5.	नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
6.	पतिराज, श्री	आजमगढ़
7.	पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
8.	पवन कुमार पाण्डेय, श्री	फैजाबाद
9.	पूरन चन्द्र शर्मा, श्री	अल्मोड़ा
10.	फतेहबहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
11.	बाबूराम एम0काम0, श्री	जालौन
12.	मन्नू लाल कुरील, श्री	बाँदा
13.	राम कुमार, श्री	खीरी
14.	राम प्रसाद सिंह, श्री	बाँदा
15.	राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
16.	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
17.	शारदा चौहान, श्रीमती	गाजीपुर
18.	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
19.	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
सचिवालय, उत्तर प्रदेश

बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 1991

विधान सभा की बैठक सभामण्डप लखनऊ में 12 बजकर 30 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री केसरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में सम्मिलित होने आ रहे विपक्षी सदस्यों को रोके जाने तथा कार्यसूची में अभिभाषण का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री प्रमोद कुमार

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप चाहें तो अभी उठा दूँ, नहीं तो । जिस समय महामहिम राज्यपाल महोदय, यहां पर अपना अभिभाषण देने के लिए आ रहे थे उस समय तमाम विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को, जिसमें नेता विरोधी दल और दूसरे नेता भी थे सभी सदस्यों को जबरन यहां आने से रोका गया । उन्हें यहां आने नहीं दिया गया । सभी यहां आने के गेट्स सदन प्रारम्भ होने के बहुत पहले ही बन्द कर दिये गये थे । जब इस अति महत्वपूर्ण और गरिमामय अवसर पर हम माननीय सदस्य यहां आना चाहते थे, उनको रोका गया । मैं आपसे चाहूंगा कि इसके लिए जो लोग दोषी हैं, उनके विरुद्ध आप अवश्य कार्यवाही करें, जिसकी वजह से हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सके ।

एक दूसरी बात यहां मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो विधान सभा की कार्यसूची आज प्रकाशित हुई है, उस पर एक नजर आप डालें, और विधान परिषद का भी मेरे पास है ।

मान्यवर, विधान सभा की कार्य-सूची में कहीं नहीं लिखा है कि राज्यपाल महोदय 11-00 बजे सदन को सम्बोधित करेंगें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद तिवारी जी, महामहिम राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के समवेत् सदनों में अपना अभिभाषण देगें इसकी सूचना पहले दी जा चुकी है । यह सूचना उस दिन दी गई थी जिस दिन माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण की थी ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, लेकिन जो आज का पूरा कार्यक्रम है उसमें इसका उल्लेख तो होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष-

देखिये दूसरे पृष्ठ पर होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से .....

श्री अध्यक्ष-
वर्मा जी, आप मद सं0 17 में कहें । हम आपकी बात सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन की जानकारी की मांग

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-
मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न इस सदन की कार्यवाही से संबंधित है । कल जब सदन चल रहा था तो उसमें उपाध्यक्ष के चुनाव की बात कही गयी थी एजेण्डे में उसका कोई उल्लेख नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-
उपाध्यक्ष का चुनाव होना है । इसकी तिथि निर्धारित करनी है ।
श्री बेनी प्रसाद वर्मा-
श्रीमन् कल सदन में इस बात की संस्तुति हो गई थी । विधान सभा की कार्य सूची में यह नहीं है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष-
कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण करें । महामहिम राज्यपाल द्वारा एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । "माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के इस अधिवेशन.....

श्री प्रमोद कुमार-
मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-
ठीक है मैं अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं शेष पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।
(सदन की सहमति से श्री राज्यपाल का शेष अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

(आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ । पिछले लगभग डेढ़ वर्ष के असामान्य घटनाक्रम के बाद राज्य में यह क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है । ऐसे परिवेश में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है ।

2-देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी आतंकवाद की विभीषिका के शिकार हो गए । इससे मेरी सरकार को गहरा शोक है । उनकी मृत्यु से हमने देश का एक महान् नेता खो दिया । मैं दिवंगत नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । साथ ही उन महान् विभूतियों की पुनीत आत्माओं के प्रति भी अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं, जिन्हें क्रूर नियति ने गत दिनों हमसे छीन लिया है । विशेष रूप से श्री श्रीपाद अमृत डांगे, श्री उमाशंकर दीक्षित, श्री जगन्नाथ राव जोशी, पत्रकार एवं सम्पादक श्री राजेन्द्र माथुर एवं श्री श्रीनाथ सिंह का उल्लेख करना चाहूँगा ।

3-ग्यारहवीं विधान सभा के सभी सदस्यों को चुनाव मे सफलता के लिए मैं बधाई देता हूं । राज्य की जनता ने अराजकता, छद्म धर्म निरपेक्षता, साम्प्रदायिक भेदभाव, तुष्टीकरण, जातीय विद्वेष, राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के विरूद्ध, सुरक्षा और समानता, सहअस्तित्व और सद्भाव लोकतंत्र और

( )यह अंश पढा हुआ माना गया ।

राष्ट्रीयता, तथा राम राज्य के आदर्शों की स्थापना के पक्ष में स्पष्ट जनादेश देकर क्रान्तिकारी परिवर्तन का सूत्र-पात किया है । आज जब कमर तोड़ मंहगाई, गरीबी बोरोजगारी, गैर-बराबरी, असुरक्षा की भावना भ्रष्टाचार से जन-धन त्रस्त है, तब जन-आकांक्षाओं के प्रति संकल्पबद्ध होकर प्रदेश में मौलिक विचारधारा से प्रेरित यह सरकार आई जिसका लक्ष्य सम्पूर्ण व्यवस्था में "परिवर्तन का संस्कार जगाना और काम की जनोन्मुखी नई संस्कृति" पैदा करना है ।

4-नई सरकार का मुख्य लक्ष्य "राम राज्य" की आदर्श व्यवस्था की ओर बढ़ना है जिसमें-

"नहिं दरिद्र कोउ, दुखी न दीना ।
नहिं कोउ अबुध, न लच्छन हीना ।

न कोई दुखी होगा, दरिद्र, न दीन होगा, न अशिक्षित और न कोई किसी हस्त-कौशल से बिहीन होगा । एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जो सबके लिये कल्याणकारी होगी । अब एक नयी आशा जगी है । नया विश्वास उत्पन्न हुआ है । उम्मीद है आप को जो जनादेश मिला है उसके लिये आप संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की मर्यादाओं और परम्पराओं के अनुरूप प्रदेश और देश की प्रगति के लिये निष्ठा, लगन और मेहनत तथा पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

5-आप सब महान भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं । आप उस धरती से चुन कर आये हैं जिसे राम, कृष्ण, गौतम, वाल्मीकि, कबीर, रहीम, रसखान आदि की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है । यह धरती धार्मिक सहिष्णुता के लिये सदा स्मरण की गयी है सबके धार्मिक विश्वासों का सम्मान और आदर करते हुए अपने धर्म में अटूट आस्था हमारी सांस्कृतिक विरासत है । इस विरासत के प्रति हमे जागरूक रहकर प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमे व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके । यह एक ऐसा पवित्र कार्य है जिसके लिये सभी को आपसी मतभेद भुलाकर रचनात्मक रूप से अपना योगदान देना है । मेरी सरकार आपसी सामंजस्य एवं सहमति की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देकर प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने के लिये प्रतिबद्ध है ।

6-पिछले दिनो साम्प्रदायिक एकता और सद्भाव के नाम पर फूट और दुर्भावना को बढावा दिया गया । सामाजिक न्याय के नाम पर जातिगत कटुता पैदा की गई । राजनैतिक फायदे के लिये धर्म-निरपेक्षता की परिभाषा विकृत की गई। सम्प्रदाय, जाति और उपाशना पद्धति के आधार पर विभिन्न वर्गो की बीच अविश्वास और वैमनस्य की खायी खोदी गयी । अब इस खायी को पाटने, सामाजिक सौहार्द का वातावरण पैदा करने, प्रदेश को दंगा रहित और भयमुक्त बनाने एवं समाज के घावों पर ममता का मरहम लगाने का गुरूतर भार मेरी सरकार के कन्धों पर है ।

7-नई सरकार ने ऐसी स्थिति में कार्यभार ग्रहण किया जब राज्य की जनता असुरक्षा, महगाई, गरीबी, बेकारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त थी । निहित स्वार्थों और राजनैतिक लाभ के लिये विभिन्न वर्गो में वैमनस्य पैदा कर दिया गया । दोषपूर्ण नियोजन, अव्यवहारिक नीतियों और फिजूलखर्ची से आर्थिक दुर्व्यवस्था उत्पन्न कर दी गई । विकास की गति शिथिल हो गई, विचौलिये और दलाल प्रशासन पर हावी रहे । राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ से वातावरण दूषित हो गया, दलित और पिछड़े वर्ग भयाक्रान्त रहे, नारी के सम्मान की उपेक्षा हुई तथा समाज के सभी वर्ग आशंकित और असन्तुष्ट रहे । मेरी सरकार के सत्ता

सम्भालते ही जनता के मन में आशा का संचार हुआ है । राष्ट्रवादी शक्तियों को बल मिला है । इस देश, तथा इसकी संस्कृति के प्रति समर्पित मेरी सरकार गांव गरीब, किसान, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों के उत्थान, नारी के सम्मान के प्रति सजग है । हर वर्ग के सभी नागरिकों के जान-माल और सम्मान की सुरक्षा के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं ।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने और ठोस विकास कार्यक्रमों तथा उनके समुचित कार्यान्वयन के साथ ही बेरोजगारी कम करने के लिए हम कृत-संकल्प हैं । इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी राष्ट्रीय भावना और देश की संस्कृति से सम्बद्ध रहते हुये सौहार्द तथा भाई-चारे की भावना बनाए रखें ।

8-मेरी सरकार ने केवल पांच सप्ताह पूर्व ही कार्यभार सम्भाला है । विरासत में मिली है अनगिनत समस्यायें और दुर्व्यवस्था फिर भी मेरी सरकार राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की नीतियों की संरचना और उसके प्रभावी कार्यान्वयन की रूप रेखा तैयार करने में, जनता से किये गये वायदों के अनुसार, तत्परता से जुट गई है । राज्य में कानून और व्यवस्था को चुस्त और दुरूस्त बनाना है । मेरी सरकार किसी भी अपराधी को राजनैतिक प्रश्रय या आश्रय नहीं देगी । उनके विरूद्ध कानून के तहत कार्यवाही की जायेगी । हिंसा की गम्भीर घटनाओं की जांच कराई जायेगी और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

9-किसी नागरिक के साथ जाति, मत, मजहब और सम्प्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं बरता जायेगा । दंगा भड़काने वाला व्यक्ति, चाहे किसी सम्प्रदाय, मजहब या जाति का हो, उसके विरूद्ध कानून के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी । खून का कोई मजहब नहीं होता । न ही इसान की जान की कीमत चुकाई जा सकती है । मेरी सरकार 1984 में मारे गये सिखों की विधवाओं को पेंशन देने की घोषणा कर चुकी है । पिछले दिनों अपने ही देश में हमारे कश्मीरी भाई विस्थापित हो गये मेरी सरकार ने कश्मीर से विस्थापित लोगों को भी, सीमित संसाधनों के बावजूद, राहत देने का निश्चय किया ।

10-पिछले दिनों राज्य के तराई और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भी आतंकवाद की काली छाया बढ़ती जा रही है । आज आतंकवाद की समस्या किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं है । अपितु यह राष्ट्रीय समस्या बन गई है । आतंकवाद देश की एकता, अखण्डता और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है । इसके लिए आवश्यक है कि सभी दल दलीय धरातल के ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय समस्या के समाधान के लिए सामूहिक और संयुक्त रूप से अपना योगदान दें । इस समस्या से निबटने की रणनीति बनाने के लिए मेरी सरकार एक टास्क फोर्स का गठन करेगी । इसके तहत पुलिस बल को आधुनिक हथियारों और वाहनों से लैस किया जायेगा, प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जायेगी और तराई क्षेत्र में सुरक्षाबलों के जाल को घना किया जायेगा । मेरी सरकार पुलिस कर्मियों के साहस और बहादुरी पर गर्व करती है और उनके मनोबल को ऊँचा बनाये रखेगी ।

11-श्री राम के जन्म स्थान मन्दिर का निर्माण हमारे सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है । निहित स्वार्थों ने इसे धार्मिक रंग देने का प्रयास किया है । पर मेरी सरकार ईमानदारी से आपसी विचार-विमर्श द्वारा मन्दिर

निर्माण में जो भी बाधायें हैं उन्हें शीघ्र दूर करके ऐसा वातावरण पैदा करगी जिससे कि सद्भाव के साथ मन्दिर निर्माण पूरा हो सके । सभी राष्ट्रवादी विचारधारा के तबकों से मेरी अपील है कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक, श्री राम के मन्दिर निर्माण में सहयोग दें जिससे परस्पर सौहार्द पैदा होगा और इससे जो एकता पैदा होगी वह ठोस और स्थायी होगी ।

12-अयोध्या में पिछले वर्ष हुए गोली काण्ड में अनेक निहत्थे, निरीह, व्यक्तियों की मृत्यु हुई । उससे जनमानस अभी तक उद्वेलित है । उक्त गोली काण्ड के सम्बन्ध में पिछले दिनों जो जांच आयोग गठित किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया है क्योंकि उसमें जांच के लिए निर्देशित बिन्दु एक-तरफ और व्यक्ति परक बने थे, अतः उचित नहीं थे । मेरी सरकार एक दूसरा आयोग गठित करेगी जो उस घटना के सभी पक्षों की और सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के आचरण-व्यवहार की जांच करेगा ।

13-मुझे दुःख है कि यह राज्य भारत के अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है, प्रति-व्यक्ति आय का औसत अपेक्षाकृत बहुत कम है और गरीबी की रेखा से नीचे आने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है । विकास की प्रचुर सम्भावनायें हैं । जनता को हमसे अपेक्षायें बहुत हैं । यह एक पिछड़े हुए राज्य में स्वाभाविक भी है किन्तु संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही योजनाओं को तैयार किया जाना है । इस सन्दर्भ में मेरी सरकार का प्रयास होगा कि योजना को तैयार करने में निर्वाचित लोकतांत्रिक संस्थाओं, जन-प्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय साझेदारी हो । योजना सच्चे अर्थों में जन-साधारण की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बने ।

14-मेरी सरकार कृषि में उत्पादकता की वृद्धि को विशेष महत्व देगी परन्तु साथ-साथ गैर कृषि कार्यक्रमों पर भी उतना ही बल दिया जायेगा । कृषि के क्षेत्र में फसलों के विविधीकरण, उद्यान तथा चारा विकास के विशिष्ट कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे और उनमें उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु नई तकनीक, विशेष रूप से शंकर प्रजाति के बीजों के संवर्द्धन एवं उपयोग पर बल दिया जायेगा । इस कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से संचालित करने के लिये शीघ्र ही एक संस्था की स्थापना पर भी हमारी सरकार विचार करेगी । मेरी सरकार का यह विश्वास है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि, गैर-कृषि कार्यक्रमों को बढ़ावा एवं विभिन्न कृषि आधारित उपजों में विविधीकरण करने के फलस्वरूप, जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा वहीं उसके साथ ही साथ ग्रामवासियों की औसत आय में भी वृद्धि होगी । केन्द्रीय बजट में उर्वरकों पर सब्सिडी समाप्त किए जाने से किसानों पर भार बढ़ा है । मेरी सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद यूरिया पर दस रुपये प्रति बोरी सब्सिडी कायम रखेगी। इस अनुदान सुविधा से केवल खरीफ में ही राज्य सरकार पर बारह करोड़ रुपये से भी अधिक का वित्तीय भार पड़ेगा । मेरी सरकार की यह नीति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को उसी स्थान पर लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिले ताकि शहरों की ओर पलायन कम हो । यह स्पष्ट है कि गांव और शहरी विकास परस्पर अन्योन्याश्रित हैं ।

15-ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु पशुधन विकास का भी महत्व कम नहीं किया जा सकता । इस परिपेक्ष्य में गाय जो हमारे देश के जनमानस में एक विशिष्ट स्थान रखती है, को प्रतीक मानते हुए मेरी सरकार को गो-रक्षण, गो-संवर्धन एवं गोवंश के विकास का ध्येय होगा ।

16 किसान के लिए, उसके खून-पसीने के श्रम से, जो उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी उस पैदावारके विपणन एव उचित मूल्यों के लिए भी समुचित व्यवस्था आवश्यक है । इस उद्देश्य से प्रदेश की मण्डियों को सुदृढ़ किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इन उद्देश्यों की ओर अपना पूर्ण योगदान करें ।

17- "नई सरकार, जनता के द्वार" में निहित विचारधारा के अनुरूप हमारा यह प्रयास रहेगा कि किसानों को, अपनी फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए, कृषि निवेश समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो सके । इसी उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी-उद्देशीय व्यवस्था लागू की जायेगी जिससे सभी प्रकार के कृषि एवं सम्बन्धित निवेशों, सलाहकार सेवाओं, को कृषकों को निकटस्थ स्थानों पर उपलब्ध कराया जा सके ।

18- मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में ग्रामीण आवास योजना का भी महत्वपूर्ण स्थान रहेगा और इस कार्यक्रम में गतिशीलता लायी जायेगी । ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये लघु सिंचाई कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने पर मेरी सरकार विशेष बल देगी । वर्तमान योजना को, और लाभप्रद एवं व्यवहारिक बनाने हेतु ठोस कदम उठाए जायेगें ।

19-मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि उपरोक्त सभी कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नये आयाम स्थापित करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि कल्याणकारी योजनाओं में जन-साधारण की अधिक से अधिक भागीदारी रहे । ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पूंजी से जो विभिन्न योजनायें एवं जन-साधारण के उपयोग हेतु राजकीय सम्पत्तियां स्थापित की गई हैं उनके अनुरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए भी ग्रामीण भाईयों की सहभागिता प्राप्त की जायेगी ताकि शासकीय पूंजी निवेश का इष्टतम उपयोग हो सके एवं जनसाधारण को सम्पूर्ण लाभ मिल सके ।

20-राज्य में विद्युत एक अत्यन्त समस्याग्रस्त क्षेत्र है । वर्षों से राज्य विद्युत परिषद की स्थिति चिन्ताजनक रही है । विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के क्षेत्रों में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है । वर्षों से वर्धमान जटिल स्थिति के सुधार में समय लगेगा । मेरी सरकार विद्युत उत्पादन को बढ़ाने, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था में सुधार, परिषद् की राजस्व-वसूली को प्रभावी बनाने, मितव्ययिता लाने, विद्युत उपभोक्ता के सेवा के स्तर में सुधार और विद्युत चोरी को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास को प्राथमिकता देगी । वायु, जल, बायो गैस और सौर शक्ति से ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा । मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हो ।

21-हर खेत की प्यास बुझाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप मेरी सरकार कुशल प्रबन्ध द्वारा वर्तमान सिंचन क्षमता के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करेगी । निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की प्राथमिकताओं को इस प्रकार

निर्धारित करेगी जिससे शीघ्र लाभ देने वाली परियोजनाओं हेतु उनकी आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराकर उन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा सके ।

22-अधिकांश नहर प्रणालियों में सिल्ट जमाव, अनावश्यक झाड़-झंखाड़ जमने तथा पक्के कार्य जीर्ण-शीर्ण होने के कारण रख-रखाव निम्न स्तर का हो गया है । इन प्रणालियों का आधुनिकीकरण पर उपरोक्त कमियों को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी जिससे यह किसानों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । उक्त उद्देश्य को दृष्टिगत करते हुए ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर तथा बेतवा नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम है जिससे इन नहरों के प्रसार क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे ।

23-प्रदेश में चलित 27,642 राजकीय नलकूपों को निरन्तर सिंचाईरत रखने के उद्देश्य से वर्तमान में विद्युत एवं यांत्रिक दोष से खराब राजकीय नलकपों को युद्धस्तर पर ठीक कराने हेतु अभियान चलाया गया है । वर्तमान खरीफ फसल में राजकीय नलकूपों से सिंचित क्षेत्रफल गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है । असफल नलकपों के पुनर्निर्माण, कार्यरत नलकपों के जीर्ण-शीर्ण उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा जीर्ण-शीर्ण जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ताकि इन नलकूपों के क्षेत्र में कृषकों को पुनः नियमित सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सके ।

24-सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों के सिंचाई शुल्क का आंकलन उनके द्वारा सींचे गये क्षेत्रफल तथा बोई गई फसल के आधार पर किया जाता है जो पानी के वास्तविक उपयोग की मात्रा पर आधारित नहीं रहता । इस प्रणाली से प्रायः उत्पन्न हो जाती है और कृषकों में असन्तोष व्याप्त होता है । इसके निराकरण हेतु मेरी सरकार द्वारा सिंचाई शुल्क के सरलीकरण की व्यवस्था की जायेगी ।

25-वर्तमान में लागू कैनाल एवं ड्रेनेज अधिनियम के कई प्राविधान निष्प्रयोज्य एवं अव्यावहारिक हो गये हैं जो कृषकों में असन्तोष का कारण बन गये हैं । मेरी सरकार द्वारा इस अधिनियम का पुनरीक्षण करके सिंचाई व्यवस्था में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अधिनियम को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जायेगा ।

26-सड़कें राज्य की अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख धमनियां हैं । मेरी सरकार राज्य के सभी गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के कार्य को समुचित प्राथमिकता देगी ताकि प्रदेश के आर्थिक विकास में किसानों और ग्रामवासियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो । प्रदेश के सीमित संसाधनों की अधिकतम लाभप्रदता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व स्वीकृत सड़कों/पुलों के निर्माण की वरीयता का व्यापक जनहित में पुनर्निर्धारण किया जायेगा । इस परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण करने के लिए अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे । अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल ग्रामों को जोड़ने वाले एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की परिधि में आने वाले सम्पर्क मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा । राज्य की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने के लिए मुख्य मार्गों और राज मार्गों के सुधार और विस्तार के साथ ही पुलों के निर्माण में तेजी लायी जायेगी ।

27 पंचायत व्यवस्था भारत के लोकतांत्रिक, सामाजिक और राजनैतिक संरचना की आधारशिला रही है । इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण भारतीय जीवन की एकात्मकता बनी रही । मेरी सरकार सत्ता के वास्तविक विकेन्द्रीकरण का और ग्राम्य पंचायत से लेकर जिला परिषद तक को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास करेगी । ग्रामीण विकास के कार्यों में पंचायतों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जायेगी ।

28-भारतीय संस्कृति में नारी को मातृ-शक्ति के रुप में देखा जाता है । उनके व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करने के लिए, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे । स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा । प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद के लिए उनको प्राथमिकता दी जायेगी और ग्रामीण स्त्रियों को रोजगार देने के लिए कुटीर उद्योग स्थापित किये जायेंगे । एकाकी श्रमजीवी महिलाओं के लिए अधिकाधिक हास्टल स्थापित किये जायेंगे । ग्रामीण स्त्रियों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के लिए भी शौचालय बनाये जायेंगे । निराश्रय और विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जायेगी । वयोवृद्ध लोगों के लिए वृद्ध-गृहों की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा । प्रदेश के निराश्रय और असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न एवं वस्त्र वितरण की योजना वर्ष 1987-88 से चलायी गयी है । इस योजना के अधीन पूर्व में 10 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा वर्ष में एक बार 50 रुपये के वस्त्र निःशुल्क दिये जाते हैं । पात्रता में ऐसे व्यक्ति तथा अनाथ बच्चे शामिल हैं, जिनकी आयु अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण जीवकोपार्जन सम्भव नहीं है । मेरी सरकार ने यह निर्णय लियाहै कि इनकी निःशुल्क सहायता 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रूपये कर दी जाय ।

29-युवा वर्ग राष्ट्रीय प्रगति के लिए शक्ति के अजस्र स्रोत हैं । उनकी ऊर्जा और शक्ति को सही दिशा देकर समाज को बदलने और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगाने का प्रयास किया जायेगा । उनमें अपनी परम्पराओं तथा प्राचीन धरोहर के प्रति गर्व और अपने भविष्य के प्रति विश्वास का संचार करते हुए रचनात्मक और उपयोगी कार्यक्रमों के प्रति रुचि उत्पन्न की जायेगी । उन्हें सभी विकास गतिविधियों में सहयोजित किया जायेगा जिससे उन्हें अपनी सार्थकता का अहसास हो । युवक और युवतियों को शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा । उनके लिए और अधिक छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा । खेलों को प्रोत्साहित किया जायेगा और खिलाड़ियों को अपेक्षित सुविधाएं दी जायेगी ।

30-भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा और सैनिक बोर्डों को सशक्त किया जायेगा । उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को स्वतः रोजगार के लिए ऋण की सुविधा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी । उनके लिए दूकानों का निर्माण कराया जायेगा । राज्य में स्थित रेजीमेंटल सेन्टर्स में युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए सेना द्वारा निःशुल्क उपलब्ध भूमि पर हास्टल का निर्माण कराया जायेगा जिसका अनुरक्षण और प्रशिक्षण कार्य सेना द्वारा किया जायेगा ।

31-मेरी सरकार अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के कल्याण और उनके सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए कृत संकल्प है । छुआछूत विरोधी

कानूनों का सख्ती से पालन कराया जायगा और उसके अन्तर्गत चलने वाले वादों में निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी । डा0 भीमराव अम्बेडकर जन्म-शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेंगी । डा0 अम्बेडकर ग्रामीण विकास योजना की प्रगति पिछले वर्ष नहीं हो सकी, मेरी सरकार उसका तत्काल प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी । पम्प सेट क्रय करने के लिए आसान ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा । इन वर्ग के लोगों को सैनिक, अर्द्ध-सैनिक और पुलिस बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण देकर और युवतियों को नर्सिंग कार्य में प्रशिक्षित करके,रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे । शिक्षा में, और छात्रावासों के निर्माण तथा संचालन में, गुणात्मक सुधार लाया जायेगा । जन-जातियों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा । पहाड़ी तथा वनीय जन-जातीय अंचलों के त्वरित विकास में आने वाली रुकावटों को दूर किया जायेगा । मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिये बनायी गयी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे ।

32-पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए मेरी सरकार बचनबद्ध है । मेरी सरकार सामाजिक और शैक्षिणक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण विषयक मण्डल रिपोर्ट को सिद्धान्ततः मानती है । मेरी सरकार इस सम्बन्ध में कर्पूरी ठाकुर फार्मूले को आधार मानकर चलेगी ताकि आरक्षण के लाभ में अति पिछड़े वर्ग के लोग प्राथमिकता पा सकें । मेरी सरकार यह मानती है कि निर्धनों के सर्वांगीण उत्थान के लिए नौकरियों का आरक्षण मात्र पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए रोजगार के स्वनियोजित कार्यक्रम भी व्यापक रुप से चलाने होंगे ।

33-मेरी सरकार पर्वतीय क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देगी । विकास के ऐसे कार्यक्रम चयनित किये जायेंगे जिनसे आर्थिक समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ बेरोजगारी भी दूर हो सके । नकदी फसलों और बागवानी को प्रोत्साहित किया जायेगा । पर्यटन-उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर बढ़ाये जायेंगे । फलों के विपणन की समस्या को हल करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे । पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और नये पर्यटन केन्द्रों का विकास किया जायेगा । मेरी सरकार सड़क, पुल, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, जल-सम्पूर्ति, शिक्षा, निर्बल वर्ग आवास आदि सुविधाओं का विस्तार करेगी । पर्यावरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने, और ग्रामीण के अधिकारों की सुरक्षा के लिए वन अधिनियम में सुधार के प्रयास किये जायेंगे ।

34-मेरी सरकार कुमायूं और गढ़वाल के जिलों को सम्मिलित करके "उत्तरांचल" नाम से एक प्रदेश की स्थापना की पक्षधर है । मेरी सरकार इसकी पूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेगी । मेरी सरकार अन्तर्क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए राज्य के पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर बुन्देलखण्ड और पूर्वी क्षेत्रके सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी और त्वरित कार्यवाही करेगी ।

35-ग्रामीण जनता के हित को ध्यान में रखते हुए राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी और सरल बनाया जायेगा । एक सरल, सुबोध और स्वतः पूर्ण राजस्व संहित की संरचना पर विचार किया जायेगा । राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जायेंगे । आबादी से सम्बन्धित वादों के समाधान के लिए आबादी भूमि का बन्दोबस्त कराये जाने के उपायों पर विचार किया जायेगा । उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों में 30 दिन के भीतर

दाखिल-खारिज की कार्यवाही का पूरा किया जाना अनिवार्य किया जा रहा है ।

37-इस वर्ष जून, जुलाई में प्रदेश के कुछ हिस्सों में विलम्ब से अथवा सामान्य से कम वर्षा हुई जिससे सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई । मेरी सरकार इन क्षेत्रों के किसानों की कठिनाइयों से अवगत है एवं सरकार ने उन्हें इस चिन्ताजनक स्थिति से उबारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं । सूखा जनित समस्याओं के निदान करने वाले हर विभाग का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है ।

38-धान की रोपाई समय से सुनिश्चित कराने हेतु जून-जुलाई के बीच 35 दिनों के लिए निःशुल्क सिंचाई व्यवस्था राजकीय नहरों एवं नलकूपों से उपलब्ध कराई गयी ।

39-विभिन्न प्रजातियों के उन्नीस हजार तीन सौ उन्नीस क्विन्टल बीज की व्यवस्था की गई है । राजकीय नलकूपों को त्वरित रूप से ठीक करने हेतु विभिन्न स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ।

40-सूखे की सम्भावित स्थिति से निपटने के उद्देश्य से उपयुक्त विद्युत व्यवस्था के लिए एक कन्टिंजेंसी योजना के अन्तर्गत 34 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है । विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बल दिया जा रहा है । ग्रामीण जल विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु 3,747 कि0मी0 कण्डक्टर तथा 2,849 ट्रान्सफार्मर्स उपलब्ध कराये गये हैं । पेयजल समस्या के निराकरण हेतु कठिन समस्या वाले 20 जनपदों को 7.52 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं, जिनसे 507 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं एवं अन्य पर काम तेजी से चल रहा है । अति पेयजल संकट वाले नगरीय क्षेत्रों हेतु भी 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । हरिजन ग्रामीण पेयजल हेतु 9.11 करोड़ रुपये जनपदों को आवंटित किये गये हैं ।

41-पशुओं के गलघोटू एवं अन्य संक्रामक रोगों के निदान हेतु 47.61 लाख टीके लगाये जा चुके हैं । पशुओं के लिए पीने के पानी एवं चारे की व्यवस्था की जा रही है ।

42-सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के मवेशियों को समीपस्थ वन क्षेत्रों में निःशुल्क चराई की व्यवस्था के लिए प्रमुख वन संरक्षक को निर्देश दे दिये गये हैं ।

43-ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु ऐक्शन प्लान के निर्देश जनपदों को निर्गत किये गये हैं । इन रोजगार कार्यक्रमों हेतु जनपद स्तर पर वर्तमान में 227 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं । उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष में जून, 1991 में 35 करोड़ रुपये के कार्य भी कराये गये हैं ।

44-ग्रामीण क्षेत्र में डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है एवं सूखे के कारण महंगाई पर नियंत्रण के उद्देश्य से कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही की जा रही है । सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को भी सक्रिय किया गया है ।

45-दैवी आपदा राहत हेतु विभिन्न विभागों को 13.04 करोड़ रुपये एवं जिलाधिकारियों को 7.13 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । इस धनराशि से पर्याप्त प्रयास किये जा रहे हैं कि नहरों एवं सिंचाई साधनों की क्षमता बढ़ायी जा सके ।

46-मेरी सरकार खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में पिछले कुछ महीनों में हुई वृद्धि से चिन्तित है । यद्यपि इन वस्तुओं के मूल्य मुख्य रूप से केन्द्र की नीतियों और निर्णयों से प्रभावित होते हैं तथापि राज्य स्तर पर उपलब्ध सीमित विकल्पों द्वारा मूल्यों को नियंत्रित करने का प्रयास

प्रभावी ढंग से किया जा रहा हैं । इसके लिये खाद्यान्न और दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता खुले बाजार में और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सुनिश्चित की जा रही है । उचित मूल्य की दूकानों की वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ और अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाया जायेगा जिससे किसानों, गरीबों और मजदूरों को उसका लाभ मिल सके । उपभोक्ता-सरक्षण कानून को दृढ़ता से लागू किया जायेगा और सभी जिलों में उपभोक्ता अदालतों के गठन का प्रयास किया जायेगा ।

47-प्रत्येक नागरिक को रोटी,कपडा मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के अनुसार मेरी सरकार प्रत्येक परिवार को अपना एक घर सुलभ कराने के अवसर प्रदान करेगी ।आवासीय भवनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी और अर्धसरकारी अभिकरणों के अतिरिक्त निजी तथा सहकारिता क्षेत्र में निर्माण को प्रोत्साहन देकर निजी पूंजीनिवेश को बढाया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और आर्थिक दृष्टि से दुर्बल अन्य परिवारों के लिए भी आवासीय भवनों के निर्माण-कार्यक्रमों में तेजी लाई जायेगी । विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को इस दृष्टि से गतिशील बनाया जायेगा ताकि उनके द्वारा अधिकाधिक वित्तीय संसाधन आवासीय भवनों के निर्माण के लिए उपलब्ध कराये जा सकें । मेरी सरकार आवास नीति को इस ढंग से बनायेगी जिससे रोजगार के नये आवसर सृजित होंगे ।

48-मेरी सरकार राज्य में शत -प्रतिशत साक्षरता लाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है । प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अन्तर्गत दो चरणों में 6 से 14 वर्ष तक आयु-वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा पर भी बल दिया जायेगा । बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा । संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और त्रिभाषा सूत्र को सही अर्थ में लागू करने का विशेष प्रयास किया जायेगा । प्रौढ़ शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रम की समीक्षा की जायगी और उसे आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जायेगा ताकि कार्यक्रम प्रभावी और परिणामोन्मुखी हो । व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए नैतिक शिक्षा पर बल दिया जायेगा ।

49-उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता है । कतिपय विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र अनियमित है । मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र समयानुसार चले और स्वच्छ वातावरण में पठन-पाठन का कार्य हो तथा स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले युवक और युवतियों को सही दिशा देते हुए रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी ऊर्जा का प्रयोग किया जाये ।

50-अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार के साथ चिकित्सा सुविधाएं भी आवश्यक है । मेरी सरकार प्रत्येक नागरिक को यह सुविधाएं सुलभ कराने के लिए वर्तमान सुविधाओं का विस्तार करेगी । एलोपैथिक चिकित्सा के अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की सुविधाओं का भी विस्तार किया जायेगा । स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिशु तथा गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक टीके और अन्य सुविधा उपलब्ध करायी जायगी । बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को

जन- आन्दोलन का रूप देने का प्रयास किया जायेगा जिससे सभी समुदाय इस कार्यक्रम को स्वेच्छा से स्वीकार करें । परिवार कल्याण कार्यक्रम की सेवाओं की कुशलता में वृद्धि करने तथा उनका स्तर उन्नत करने का भी प्रयास किया जायेगा । परिवार नियोजन कार्यक्रम को अन्य सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के साथ सम्मिलित किया जायेगा । दीर्घकालीन जन-सांख्यिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहनों तथा निरुत्साहनों के माध्यम से स्वेच्छापूर्वक "दो बच्चों" के नारे को अपनाने पर निरन्तर बल दिया जायेगा ।

51- मेरी सरकार का विश्वास है कि देश को समृद्ध, आधुनिक और जागृत बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है । इसका उपयोग उत्पादकता बढ़ाने, दरिद्रता, भूख और रोग का उन्मूलन करने, रोजगार का सृजन करने और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले जन-समुदाय को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए किया जा सकता है । मेरी सरकार इस क्षेत्र में विशेष बल देगी और प्राविधिक शिक्षा को वर्तमान परिवेश के अनुरूप प्रभावी और गुणात्मक बनाये जाने के लिए समुचित व्यवस्था करेगी ।

52-मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि सामाजिक परिवर्तन में न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान है । कम खर्च पर शीघ्र और निष्पक्ष न्याय देकर सामाजिक तनावों को दूर किया जा सकता है । इसलिए ऐसे कदम उठाये जायेंगे कि लम्बित पड़े वादों का निपटारा शीघ्र हो । न्याय पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि की जायेगी ताकि जनता को त्वरित न्याय मिल सके । अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों और आर्थिक अथवा अन्य अक्षमता के कारण न्याय प्राप्ति से वंचित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम को व्यापक बनाया जायेगा ।

53-मेरी सरकार नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है । पर्यावरण की स्वच्छता, जल सम्पूर्ति, जलोत्सारण तथा मार्ग प्रकाश आदि सुविधाओं में सुधार किया जायेगा । मलिन बस्तियों के पर्यावरण को सुधारने और उनके निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के उद्देश्य से चलाये जा रहे कार्यक्रमों में तेजी लायी जायेगी ।

54-पर्यटन, राष्ट्रीय एकता, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण साधन है । पर्यटन के समुचित विकास के लिए वर्ष 1991 को भारतीय पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है । इस प्रदेश में प्राकृतिक सौन्दर्य और आकर्षक पर्यटन स्थलों और धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रों की बहुतायत है, जिनमें पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार सम्भावनाएं हैं । इसलिए पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा । प्रदेश के बौद्ध परिपथ में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की गति में वृद्धि लायी जायेगी और आवश्यक पर्यटन सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ताकि विदेशों से बौद्ध पर्यटक अधिक संख्या में आकर्षित हों जिससे विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होगा । पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय को और अधिक विकसित किया जायेगा । मेरी सरकार राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तीर्थस्थलों को पर्यटक केन्द्र के रूप मे विकसित करते हुए यात्रियों के लिए सुविधायें उपलब्ध करायेगी।

55-राज्य में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए मेरी सरकार गम्भीर प्रयास करेगी, क्योंकि उद्योग को उत्पादन परक ही नही अपितु कल्पनाशील भी होना चाहिए ताकि वह अधिकाधिक रोजगार दिलाने और कृषि सहित पूरे क्षेत्रों की सहायता करने की अपनी प्रमुख भूमिका निभा सके । मेरी

सरकार औद्योगिक विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करके उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण बनायेगी । मेरी सरकार की उद्योग नीति ऐसी होगी जिससे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिले और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित औद्योगिक विकास हो । सरकार द्वारा औद्योगीकरण से सम्बन्धित मामलों के निर्णय अन्तर्विभागीय समन्वय करके, शीघ्रातिशीघ्र किए जायेंगे । आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए उनहें प्रोत्साहित किया जायेगा । कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा । लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और उनके लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए तैयार माल के विपणन में सहायता की व्यवस्था की जायेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विकास और रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण उद्योग स्थापित कराए जायेंगे । दस्तकारी, हथकरघा, आदि उद्योग जो विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं उनको आवश्यक सुविधायें दी जायेंगी ।

56-पिछले कई दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र का अनियंत्रित विस्तार होता रहा है और अर्थ व्यवस्था की उन गतिविधियों में भी राजकीय उपक्रम स्थापित कर दिए गए हैं जहां न तो वे अनिवार्यता और सामाजिक हित की कसौटी पर खरे उतरते हैं और न ही दक्षता के मापदंड पर । ऐसी गतिविधियों पर, कार्मिकों के व्यापक हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार विचार करेगी । सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्गठन की प्रक्रिया में कर्मचारियों एवं जन साधारण की अंश पूंजी पर आधारित भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा । राज्य सरकार के उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम, निरन्तर चिन्ता का विषय बने हुए है । मेरी सरकार इन उपक्रमों की नियंत्रण पद्धति का आर्थिक आधार पर पुनर्गठन करेगी । विगत वर्षों में कतिपय उपक्रमों द्वारा भारी घाटा दिए जाने के कारणों की समीक्षा की जाएगी । मेरी सरकार सिद्धान्त रूप में आर्थिक मापदंडों पर सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ नहीं है पर ऐसे निर्णयों में कार्मिकों और मजदूरों का हित सुरक्षित हो तथा हस्तान्तरण निजी स्वार्थ पर आधारित नहीं होने चाहिए ।

57-मेरी सरकार का निश्चित मत है कि किसी राज्य विकास और उसकी प्रगति उसी दशा में सम्भव है जबकि उसका प्रशासन-तंत्र अच्छा हो ताकि सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन ऐसा हो कि विकास का लाभ सही अर्थ में सभी वर्गों के लोगों को उपलब्ध हो । इस राज्य का प्रशासन तंत्र सक्षम, योग्य और प्रतिभावान है । किन्तु पिछले दिनों उसको अच्छी दिशा नहीं दी गयी और उसका दुरुपयोग निहित स्वार्थों के लिए भी किया गया । मुझे विश्वास है कि यह प्रशासन-तंत्र मेरी सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अपनी योग्यता, कुशलता और संवैधानिक निष्ठा के साथ करेगा । मेरी सरकार ने पूरे प्रशासन-तंत्र से अपेक्षा की है कि वे निर्भीकता, निष्पक्षता और न्याय-प्रियता से कार्य करें ।

58-मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि अर्थ-व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु "व्यक्ति" है । इसी विचार को ध्यान मे रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना की संरचना की जायेगी और उसे राज्य की आवश्यकताओं तथा सरकार की नीतियों के अनुसार ढाला जायेगा । विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सत्ता तथा नियोजन की प्रक्रिया में विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है । अब तक विकेन्द्रीकरण की दिशा में किये गये प्रयास अधूरे और अपर्याप्त रहे हैं जिससे कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है । मेरी सरकार सच्चे अर्थों में इस दिशा में प्रयास करेगी । जिला योजना की संरचना तथा उनके

क्रियान्वयन में भी विकेन्द्रीकरण की दिशा में मूलभूत परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा । कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उचित नियोजन, प्रभावी क्रियान्वयन, सतत अनुश्रवण और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

59-नई सरकार ने जब कार्यभार ग्रहण किया तब विरासत में उसे कठिन वित्तीय स्थिति मिली । विकास कार्य या तो बन्द पड़े थे अथवा पिछड़ गये थे या विकास का सुख कुछ जिलों तक ही सीमित था । ऐसी परिस्थिति में यह अपरिहार्य हो गया कि अनुत्पादक एवं आयोजनेतर व्यय में कटौती की जाय, मितव्ययिता के सिद्धान्तों को अपनाया जाये जिससे सम्पूर्ण प्रदेश में सादगी का वातावरण सृजित हो सके तथा राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि सम्भव हो सके । इसके अलावा मेरी सरकार का यह भी प्रयास है कि प्रदेश के सीमित संसाधनों का उपयोग, विकास के कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता निर्धारित करके किया जाय। ताकि सीमित संशाधनो से अधिक से अधिक विकाश कार्यों को गति प्रदान की जाय। जहां एक ओर नई सरकार द्वारा उन स्रोतों से संसाधनों में अभिवृद्धि का प्रयास किया जायेगा जो राज्य सरकार के अधीन है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार से भी प्रदेश सरकार को अधिक केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जायेगा । मेरी सरकार आशा करती है कि वर्तमान केन्द्र सरकार इस प्रदेश की विशेष समस्याओं का ध्यान रखकर अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ।

60-मेरी सरकार का यह मत है कि केन्द्र एवं राज्य के सम्बन्धों की पुनर्संरचना पर भी विचार हो । इस दिशा में सरकारिया आयोग की संस्तुतियों शीघ्र लागू की जानी चाहिए । केन्द्र द्वारा ऐसी नीति अपनायी जानी चाहिए जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा न मिले । केन्द्र के राजस्व का न्यायोचित भाग उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों को मिलना चाहिए ।

61-मेरी सरकार की आस्था स्वस्थ मजदूर संघों में है । श्रम कानूनों को सरल एवं तर्क संगत बनाने के प्रयास किए जायेंगे । ऐसी व्यवस्था होगी जिससे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में उत्पादन से लेकर निर्णय लेने तक की प्रक्रिया में श्रमिकों की भागीदारी हो सके । मेरी सरकार श्रमिकों के शोषण को समाप्त करके उन्हें उनका हक दिलाने के प्रति वचनबद्ध है जिससे उनके पसीने की सही एवं पूरी मजदूरी मिल सके । मेरी सरकार श्रमिकों के लिए कल्याणपरक योजनायें भी बनायेगी ।

62-मेरी सरकार उपभोक्ताओं तथा अन्य विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखेगी । इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया जायेगा । बिक्रीकर के ढांचे को सरल बनाने के उद्देश्य से शीघ्र ही एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि, विधि विशेषज्ञ, जन-प्रतिनिधि होंगे । मनोरंजन कर के विषय में कारन्थ कमेटी की सिफारिशों पर भी विचार किया जायेगा । विभिन्न करों से आय की अधिकाधिक वसूली एवं करापवंचन की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे । आर्थिक विकास एवं विभिन्न योजनाओं के सम्पादन के लिये आवश्यक मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त सलाहकार समिति का पुनर्गठन करके उसे अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जायेगा ।

63-मेरी सरकार के कार्यक्रमों की दिशा, प्राथमिकतायें अन्त्योदय के उन सिद्धान्तों पर आधारित होगी जिनकी स्वर्गीय पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ने अपने शब्दों में इस प्रकार से व्याख्या की है । "आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा । आज देश में ऐसे करोड़ों मानव है, जो मानव के किसी भी अधिकार का उपभोग नहीं करपाते । शासन के नियम और व्यवस्थायें, योजनायें और नीतियां, प्रशासन का व्यवहार औरभावना इनको अपनी परिधि में लेकर नहीं चलती, प्रत्युत उन्हें मार्ग का रोड़ा ही समझा जाता है । हमारी भावना और सिद्धान्त है कि वह मैले-कुचेले, अनपढ़, सीधे-सादे लोग हमारे नारायण हैं । हमें इनकी पूजा करनी है । यह हमारा सामाजिक एवं मानव धर्म है । जिस दिन इनको पक्के, सुन्दर, सभ्य घर बना कर देंगे, जिस दिन हम इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन-दर्शन का ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पाव की बिवाइयां को भरेंगे और जिस दिन इनको उद्योगों और धन्धों की शिक्षा देकर इनकी आय को ऊंचा उठा देंगे, उस दिन हमारा भ्रातृभाव व्यक्त होगा । ग्रामों में जहां समय अचल खड़ा है, जहां माता और पिता अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में असमर्थ हैं, वहां जब तक हम आशा और पुरुषार्थ का सन्देश नहीं पहुंचा पायेंगे, तब तक हम राष्ट्र के चैतन्य को जागृत नहीं कर सकेंगे । हमारी श्रद्धा का केन्द्र, आराध्य और उपास्य, हमारे पराक्रम और प्रयत्न का उपकरण तथा उपलब्धियों का मानदण्ड वह मानव होगा, जो आज शब्दशः अनिकेत और अपरिग्रही है ।"

64-माननीय सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार की प्रमुख नीतियों की संक्षिप्त रूप-रेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है । इनके अतिरिक्त ऐसे अन्य कार्यक्रमों पर भी विचार किया जायगा जो राज्य को भारत के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने में सहायक होंगे ।

65-विधान मण्डल के इस सत्र से पूर्व मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं जिनके प्रतिस्थानी विधेयक तथा कुछ अन्य विधेयक पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी । इस सत्र में अनुपूरक मांगे भी प्रस्तुत की जायेंगी जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी ।

66-भारत के नागरिक चाहे जिस जाति, वर्ग या मजहब के हों, भाई-भाई हैं । मुझे आशा है कि सभी जन भारत की संस्कृति और गौरव की रक्षा करने के लिए राष्ट्रवाद,सकारात्मक धर्म-निरपेक्षता, और एकात्म मानववाद की दृष्टि से विचार करेंगे और अपनी शक्ति और ऊर्जा का उपयोग प्रदेश और देश की प्रगति तथा रचनात्मक कार्यों के लिए करेंगे ताकि सरकार अपना पूरा ध्यान आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लक्ष्य की प्राप्ति पर केन्द्रित कर सके । इस सम्बन्ध में मैं आपसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हुए यह आशा करता हूं कि आप जनता-जनार्दन की कठिनाइयों के निराकरण में अपना सहयोग देते हुए भारत की हृदयस्थली और संस्कृति के केन्द्र उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिये अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे ।

67-मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने लक्ष्य के प्रति आपकी निष्ठा, विवेक और दूरदर्शिता, आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी । मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके सामने जो कार्य हैं उनको अधिक उत्साह से करने की शक्ति ईश्वर आपको प्रदान करें ।)

इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आहूत करता हूं ।

जयहिन्द ।"

नोट : ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी)नियमावली (संशोधन)(तृतीय) अध्यादेश ,1991

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन)(तृतीय) अध्यादेश, 1991 सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सरकारी वाद(अभिवक्ताओं का आबन्धन)(तृतीय)अध्यादेश, 1991

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-
मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन)(तृतीय) अध्यादेश ,1991 सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)(द्वितीय) अध्यादेश ,1991

उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 नरेंद्र कुमार सिंह गौर)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)(द्वितीय)अध्यादेश, 1991 सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन)अध्यादेश ,1991

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (डा0 दिनेश जौहरी)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोकसेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण (संशोधन)(द्वितीय) अध्यादेश, 1991

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन और बैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश ,1991

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन)और बैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश ,1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन)(द्वितीय) अध्यादेश, 1991

राजस्व मंत्री (श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी)-
मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश,1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड(संशोधन) अध्यादेश, 1991

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन)अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था)(द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991

पंचायती राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद(अल्पकालिक व्यवस्था)(द्वितीय संशोधन)अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर(संशोधन)अध्यादेश,1991

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश,1991 को सदन के पटल पर रखता हूं

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और बैधीकरण) अध्यादेश,1991

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और बैधीकरण) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड(संशोधन और बैधीकरण) विधेयक, 1991

सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा

कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1991 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 मार्च, 1991 को वापस प्राप्त हो गया ।

दण्ड प्रकिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा -

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तगत सूचित करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1991 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 मार्च, 1991 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश बिनियोग विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा -

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिनियोग विधेयक, 1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मार्च, 1991 के उपवेशन में पारित किया था जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 मार्च, 1991 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का सातवा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन और बैधीकरण) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा -

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन और बैधीकरण) विधेयक, 1991 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मार्च, 1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 13 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का आठवा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा -

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर

स्वायत्त शासन विधि (संशोधन)विधेयक 1991 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी,1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 25 फरवरी,1991 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च,1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (संशोधन)विधेयक,1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी,1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 1991 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च,1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) विधेयक,1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन)विधेयक,1991 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 21 फरवरी,1991 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 मार्च,1991के उपवेशन में पारित किया था , राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19मार्च, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक ,1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपने दिनांक 21 फरवरी,1991 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 फरवरी, 1991 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक19 मार्च,1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक , 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन)विधेयक ,1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी,1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 मार्च,1991 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 मार्च,1991 को प्राप्त हो

गई और वह सन् ।99। का तेरहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, ।99।

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन)विधेयक ,।99। पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 2। फरवरी,।99। की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 मार्च,।99। के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ।9 मार्च,।99। को प्राप्त हो गई और वह सन् ।99। का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन)(संशोधन) विधेयक ,।99।

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन)(संशोधन)विधेयक, ।99। पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा नें अपने दिनांक 2।फरवरी।99। के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपने दिनांक 25 फरवरी,।99। की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ।9 मार्च, ।99। को प्राप्त हो गई और वह सन् ।99। का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) विधेयक, ।99।

सचिव, विधान सभा -

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) विधेयक,।99। पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 24 जनवरी,।99। की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 फरवरी,।99। के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 मार्च, ।99। को प्राप्त हो गयी और वह सन् ।99। का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, ।99।

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक ,।99। पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 24 जनवरी,।99। की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2।फरवरी,।99। के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 29 मार्च,।99। को प्राप्त हो गयी और वह सन् ।99। का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया ।

दण्ड प्रकिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि दण्ड प्रकिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक,1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मार्च,1991 के उपवेशन में पारित किया किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 13 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 1991 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया ।

श्री राम प्रसाद सदस्य विधान सभा को गिरफ्तार किये जाने तथा उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित किये जाने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-17 के संबंध में माननीय राम आसरे वर्मा जी की सूचना प्राप्त हुई है । यह सूचना बाँदा जिले के विधायक राम प्रसाद की गिरफ्तारी से संबंधित है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, नियमावली के नियम 80 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई माननीय सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की सूचना और गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी मान्यवर आपको दी जानी चाहिये। मुझे जानकारी नही है कि इस संबंध में आपको जानकारी दी गई है या नहीं । हम लोगों को जानकारी अभी तक नहीं मिल पायी है इसलिये मैं समझता हूं कि वह जानकारी अभी शायद आपके पास नही पहुंची है ।

दूसरी खास बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल विधायकों के मान और सम्मान के प्रति कही चिंता व्यक्त की थी और यह भी कहा था कि ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि विधायकों के मान-सम्मान के लिये आन्दोलन चले, मैं तो आपको बता दूं कि कल इसके लिये कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से धरना चला। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस पर कार्यवाही करेंगे, उन्होने सारे सदन की भावनाओं का सम्मान करते हुए घोषणा की थी । मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, सारा सदन जानना चाहेगा कि कल जब उन्होने घोषणा की थी, उसके बाद से इस संबंध में, उनको रिहा करने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कौन से कदम उठाये थे । यही उनकी घोषणा का मापदण्ड होगा, बता दें ।

श्री अध्यक्ष-

आपने दो बातें उठाई । जहां तक श्री राम प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना की बात है, अध्यक्ष को इस बात की सूचना दी गई थी और वह 26 जून, 1991 को बुलेटिन संख्या-1 द्वारा प्रकाशित कर दी गई थी कि उनको किन-किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया । जहाँ तक दूसरी बात है, कल यह प्रश्न आपने और अन्य माननीय सदस्यों ने उठाया था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि शीघ्रातिशीघ्र पता लगायेंगे कि क्या बात है। मैं चाहूंगा कि इस मामले मे क्या कार्यवाही हुई , इसकी जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी दे दें ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, इस संबंध में आपने कल कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे, तब से 24 घंटे हो गये शासन को जानकारी करने में, छानबीन करने में देर नहीं लगती, 24 घंटे तो बहुत होते हैं । जिस मान सम्मान का दावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था, उसका मतलब था कि इतने समय के अन्दर माननीय सदस्य को रिहा कराकर सदन के सामने उपस्थित करते और वे यहाँ की कार्यवाही में भाग ले सकते, वे अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को यहाँ रखने में सक्षम हो सकते और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्ट घोषणा करवा दें कि कब तक माननीय राम प्रसाद जी को रिहा करके सदन के सामने उपस्थित करेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

रिहाई के संबंध मे मैं समझता हूं कि मैं कोई निदेश नहीं दे सकता ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, आपने एक बुलेटिन का हवाला दिया कि 26 जून की बुलेटिन में राम प्रसाद जी की गिरफ्तारी के बारे में छपा था । श्रीमन् इसी संबंध में मुझे आपसे निवेदन करना है कि राम प्रसाद जी की गिरफ्तारी 17 जून को की गई थी, उन्हें मारा पीटा गया था और 17 तारीख से 9 दिन के बाद यह बुलेटिन प्रकाशित होती है, जब कि वह निर्वाचित हो गये थे और उनको सर्टीफिकेट मिल चुका था । श्रीमन् आपको इसके बारे में निर्णय भी करना है, इसके बारे में जानकारी करनी है कि जब माननीय सदस्य निर्वाचित घोषित कर दिये गये थे, उनको प्रमाण पत्र मिल चुका था तो उसके बाद, गिरफ्तारी होने के 9 दिन के बाद इतनी देर में माननीय अध्यक्ष के पास क्यों आई। इसके लिये कौन ज़िम्मेदार है, श्रीमन् यही निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको देख लूंगा । मेरे कार्यालय में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं सुधार कर लूंगा ।

मुख्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय राम आसरे वर्मा जी और माननीय ऊदल जी ने उठाया है, इस समय मैं केवल इतना कहना ही पर्याप्त समझ रहा हूं कि जानकारी हमको मिल गई है। अच्छा रहेगा कि इसके बारे में आप अकेले में हमसे बात कर लें और समस्या का निराकरण कर लें । इस सारे प्रकरण को बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, यह प्रकरण सारे सदन में आ चुका है, इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना कि अकेले में बात कर लें, संदेह प्रकट करता है। इसके बारे में सदन ने मांग की थी। माननीय राम प्रसाद जी को मार-तोड़ करके, उनके साथ निर्मम व्यवहार करके जेल में डाल रखा गया है। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमें दायर किये गये हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी उन्हीं मुकदमों की धाराओं को दोहराना चाहते हैं ।

मान्यवर , जब सारे सदन का मत है और सभी लोग जानते हैं कि मुकदमा फर्जी गढ़ा गया और सिर्फ इस लिये गढ़ा गया कि इससे पूर्व माननीय राम प्रसाद जी ने जिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सदन में आवाज उठाई थी, उन्हीं पुलिस अधिकारियों ने बदले की भावना से फर्जी मुकदमा बना करके उनको नाजायद तरीके से जेल में बन्द कर रखा है, उसके बाद भी माननीय मुख्य मंत्री जी अकेले में क्या बताना चाहते हैं, यह तो उनकी नियत के ऊपर संदेह व्यक्त करता है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी यह कह रहे हैं कि वह सम्पूर्ण जानकारी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करके सदन को सूचित कर देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, सुनाई नहीं पड़ रहा है । मान्यवर, क्या मद संख्या 2 पहले ले लिया है, क्या इसीलिये नहीं सुनाई पड़ रहा है ?

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, माननीय राम प्रसाद जी की गिरफ्तारी के संबंध में जो भी घोषणा हो, वह माननीय सदन के सामने होनी चाहिये ।अकेले बैठकर चर्चा करना,बात करना, इसको मैं उचित नहीं समझता हूं ।

श्री अध्यक्ष -

मैंने यह कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी पूरी जानकारी करके सदन को सूचित कर दें कि किन परिस्थितियों में उनकी गिरफ्तारी हुई है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि सूचनाएं उन्हें प्राप्त हो गई हैं, तो मान्यवर, जो सूचनाएं आई हैं, वह सदन के समक्ष आ जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष -

जिस समय पूरी सूचना आ जायेगी, उस समय आपको सूचित कर दिया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा -

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी सदन के सामने कहा है कि जानकारी कर ली है और जब जानकारी हो गई है, तो उसे सदन के सामने रखने में आपत्ति क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, माननीय माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि पूरी जानकारी हो गई है, माननीय मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया है कि वह अलग से बात कर लेंगे। मेरा आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि वह आपत्तिजनक अंश को छोड़कर बाकी जानकारी दे दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष -

माननीय वर्मा जी हमारा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, आपके जरिये हमारा भी माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के ऊपर चर्चा कराना शायद परम्परा नहीं रही है ।माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि बातचीत करके कोई हल निकालेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी कब तक आप माननीय राम प्रसाद जी की गिरफ्तारी के बारे में सूचना दे देंगे ?

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, जब भी आपकी आज्ञा होगी, जानकारी दे दूंगा। मान्यवर, मैंने कहा है कि माननीय राम आसरे वर्मा जी और माननीय ऊदल जी से आपके कक्ष में बात कर लूंगा ।

नेता विरोधी दल(श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि वह उचित प्रतीत होती है और विधायक का मामला भी है, पूरा सदन जानना चाहता है,लेकिन अगर कोई कठिनाई मार्ग में है, तो मैं भी निवेदन करूंगा कि आज शाम को आप कोई समय रख लें और नेतागण जो विपक्ष के हैं, उनसे भी परामर्श कर लें ।

श्री कल्याण सिंह -

मान्यवर, मै तैयार हूं आज सदन उठने के बाद आपके कक्ष में हम आ जायेंगे और सभी दल के नेता आ जायें, वहीं बात हो जोयगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में सम्मिलित होने आ रहे कतिपय सदस्यों को रोके जाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

नियम 63 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई है। कहा गया है कि विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमानना हुई है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन, इस सदन के सर्वोच्च पद पर आपके आसीन होने के बाद यह धारणा बनी थी ।

श्री अध्यक्ष -

मैने आपकी सूचना को पढ़ लिया है मैं इस पर शासन की जानकारी लेना चाहता हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, एक मिनट दे दें, मुझे सुन लें । मान्यवर, आपके इस सदन में सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बाद यह धारणा बनी थी कि आप हमारे दलों की रक्षा करेंगे और रक्षा करने में सक्षम भी हैं मगर मुझे दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है ।

(व्यवधान)

आज जब माननीय महामहिम राज्यपाल जी अपना अभिभाषण करने आ रहे थे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बदले की भावना से कांग्रेस दल के सदस्यों को बाहर रोककर लौटवा दिया ।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा दल के सदस्यों को, कांग्रेस दल के तो अनेक सदस्य मेरे कक्ष में आकर बैठे थे तो उनमें अनेक विधायक थे, जब महामहिम राज्यपाल जी आये तो उन्होंने नारा लगाया और आप कह रहें हैं कि आपके दल के विधायकों को रोका गया ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, आपके प्रति हम लोगो की जो भावना बनी है वह भावना समाप्त हो जायेगी । मेरा निवेदन है कि आप सरकार को निर्देश दें इस पर कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही जिससे कि माननीय सदस्यों के मन में यह भावना उत्पन्न हो सरकार के प्रति कि यह बदले की भावना से कार्य कर रही है, न करे । आप मेरी रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष-

कोई बदले की भावना नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं भुक्तभोगी रहा हूं इसलिये मैं अपनी बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायं ।

सदन की मर्यादा एवं गम्भीरता बनाये रखने के सम्बन्ध में सदस्यों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

चूंकि मद संख्या 18 विशेषाधिकार का दिया था इसलिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूँ- अभी विधान सभा और विधान परिषद् के सववेत् सदनों में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ । एक बहुत गम्भीर, बहुत महत्वपूर्ण अवसर था । हमारे जो विपक्षी दल के सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने उस अभिभाषण का बहिष्कार करने का अपना-अपना तरीका अपनाया, कुछ विपक्षी दल के सदस्य गण सदन के बाहर चले गये, कुछ यहां सदन में ही रहकर माननीय महामहिम राज्यपाल जी जिस समय अभिभाषण पढ़ रहे थे, नारे लगाते रहे, कुछ ऐसे भी सम्मानित सदस्य हैं, जिन्होंने इस अवसर को गम्भीरता से नहीं समझा और मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें एक दो मंत्रीगण भी थे । जब महामहिम राज्यपाल अपना अभिभाषण कर रहे थे तो किसी के पास कोई विधायक प्रार्थना-पत्र लेकर जा रहा है, कोई मंत्रीगण अपने स्थान से उठकर दूसरे के पास जा रहे हैं । मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर जो गम्भीर विचार-विमर्श का माध्यम है, इस सदन की मर्यादा अपने आचरण और अपनी व्यवस्था से बनेगी । बजट आदि पर चर्चा ,अनुपूरक मांगों आदि पर चर्चा ऐसे विषय हैं जहां पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा । किसी चर्चा के समय तो यह अपेक्षा हो सकती है कि किसी सहयोगी से, साथी से परामर्श की आवश्यकता है, लेकिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय यह ठीक नहीं । अब चूंकि हमारे बहुत से नये सम्मानित सदस्य यहां निर्वाचित होकर आये हैं, वरिष्ठ सदस्य कनिष्ठ सदस्य को मार्गदर्शन देते रहेंगे, यह एक मेरा निवेदन है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, यह स्थानान्तरण उद्योग विभाग जो है, इसको बन्द करा दीजिये सब ठीक हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यहां अभिभाषण से पूर्व सारे दरवाजे बाहर से बन्द कर दिये गये थे यहां तक कि सेन्ट्रल हाल का गेट भी बन्द कर दिया गया था, जिससे काफी दिक्कत हुई ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, जानकारी कर लेंगे ।

मन्त्रि परिषद के सदस्यों का परिचय कराये जाने तथा एग्लो इण्डियन कम्युनिटी के प्रतिनिधि को नामित न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यहां बहुत से नये चेहरे सदन में आये और मंत्रि-परिषद में भी बहुत से चेहरे नये हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी आपकी भावना से सब लोग अवगत हैं आप बैठ जायें।

श्री प्रमोद कुमार -

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। मान्यवर, जो मंत्रि-परिषद के महारथी लोग हैं उनका परिचय करा दीजिये, सदन में कम से कम सब लोग उन्हें जान जायं कि कौन मंत्री हैं कौन नहीं । मंत्रिपरिषद में बहुत से महारथी ऐसे भर्ती किये हैं जो पहली बार चुनकर आये हैं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी का जो यह दल है यह अधूरा है और यह एक ऐसा दल है जिस दल के पास अल्पसंख्यक वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं है, यह अभी तक एंग्लो इण्डियन कम्युनिटी का कोई प्रतिनिधि नामित नहीं कर पाये ।

श्री अध्यक्ष -

माननीय तिवारी जी इन बातों को कहने के लिये दूसरे अवसर आयेंगे। जहां तक मंत्रिपरिषद के सदस्यों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी उचित अवसर अतिशीघ्र निकालकर उनसे सभी साथियों को बुलाकर परिचय करा दें ।

श्री प्रमोद कुमार -

मान्यवर, साफ सुथरे लोगों का परिचय करा देने में कोई एतराज इनको नहीं होना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र नाथ -

मान्यवर, विशेषाधिकार के मामले पर मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष -

अब आप बैठ जायं । जब आपकी सूचना अलग से प्राप्त होगी, तो अवसर मिलेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष -

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30-7-91 की बैठक में सदन के दिनांक 31 जुलाई, 1991 से दिनांक 13 अगस्त, 1991 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :-

जुलाई, 1991

31	बुधवार	12.30 बजे अपरान्ह (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना (2) औपचारिक कार्य, यथा, अध्यादेशों, अधिसूचनाओं नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुनर्स्थापन आदि, यदि कोई हो ।

अगस्त, 1991

1	गुरूवार	निधन के निर्देश (प्रश्नकाल नहीं होगा) ।
2	शुक्रवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पहला दिन) ।
3	शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
4	रविवार	बैठक नहीं होगी ।
5	सोमवार	बैठक नहीं होगी ।
6	मंगलवार	(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (दूसरा दिन) । (2) 5.00 बजे अपरान्ह विधायी कार्य ।

7 बुधवार (1)श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तीसरा दिन)।
(2)5.00 बजे अपरान्ह

वित्तीय वर्ष 1991-92 के प्रथम अनुपूरक माँगों का प्रस्तुतीकरण ।

8 गुरूवार (1)विधायी कार्य (आधा दिन)।
(2)वित्तीय वर्ष 1991-92 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार तथा मतदान और तत्संबंधी विनियोग

विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण (आधा दिन)

9 शुक्रवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा(चौथा एवं अंतिम दिन)

10 शनिवार बैठक नहीं होगी ।

11 रविवार बैठक नहीं होगी ।

12 सोमवार (1)असरकारी दिवस (आधा दिन) ।
(2)विधायी कार्य (आधा दिन)।

13 मंगलवार (1)असरकारी दिवस (आधा दिन) ।
(2)विधायी कार्य (आधा दिन) ।

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के सम्बन्ध में जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे (पूर्वाह्न) पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
31 जुलाई, 1991

प्रेम चन्द्र सक्सेना
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी0एस0यू0पी0-एल0 150 विधान सभा(261) 1991(आफसेट)